कार्यालय नगर निगम, जोधपुर, उत्तर/दक्षिण

पोलोटेक्निक कॉलेज परिसर, जोधपुर ceo_nnj@rediffmail.com Tel 0291-2651464

क्रमांक:– F-18/13886 दिनांक:– 29/9/23

अल्पकालीन निविदा सूचना

(यूनिक बिड संख्या – DLB2324WSO27216

नगर निगम उत्तर/दक्षिण जोधपुर की ओर से दशहरा महोत्सव 2023 के लिए संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में मुहरबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा दिनांक 09/10/23 को 2:00 बजे तक बेची जाकर, दिनांक 09/10/23 को दोपहर 2:30 बजे तक प्राप्त कर 3:00 बजे उपस्थित संवेदकों के समक्ष खोली जायेगी। अन्य विवरण एवं शर्तें निविदा प्रपत्र कार्यालय समय में कार्यालय में देखे जा सकते है। www.sppp.raj.nic.in एवं जोधपुर नगर निगम की वेबसाईट www.urban.rajasthan.gov.in/mcjs पर देखी जा सकती है।

क्र.सं.	कार्य	राशि	अमानत राशि	निविदा शुल्क
1	रावण सहित चार परिजन एवं दो हाथी का निर्माण	5.00 लाख	10000	500
2	आतिशबाजी	3.50 लाख	7000	500
3	सिंवाची गेट, नगर निगम जोधपुर गैरेज से फतेहपोल होते हुए रावण का चबुतरा, तथा पुनः फतेहपोल होते हुए स्टोर गैरेज तक रथ खिंचाई मय 15 व्यक्ति	25 हजार	500	200

नोट :– (1) दरें एक माह तक मान्य होगी। (2) कार्य शुरु करने से पूर्व व कार्य पूर्ण करने के पश्चात् कार्य स्थल की फोटो/विडियोग्राफी सी.डी. आवश्यक रुप से प्रस्तुत करें। (3) सशर्त निविदा स्वीकार नहीं होगी। (4) दोष निवारण अवधि नियमानुसार होगी।

आयुक्त
नगर निगम जोधपुर उत्तर

आयुक्त
नगर निगम जोधपुर दक्षिण

क्रमांक:– 13887–13893 दिनांक:– 29/9/23
प्रतिलिपि:–

01. श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, जोधपुर।
02. निदेशक/अधीक्षण अभियन्ता, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
03. अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि./जोधपुर विकास प्राधिकरण/नगर निगम जोधपुर।
04. सहायक लेखाधिकारी, नगर निगम उत्तर/दक्षिण जोधपुर।
05. सम्पादक राजस्थान पत्रिका/दैनिक भास्कर समाचार पत्र को भेजकर लेख है कि आगामी समाचार पत्र में न्युनतम साईज में प्रकाशित कर बिल की दो प्रतिलिपि कार्यालय में भिजवायें।
06. श्री रामेश्वर गहलोत, प्रोग्रामर नगर निगम जोधपुर दक्षिण को भेजकर लेख है कि अल्पकालीन निविदा सूचना (1) urban.rajasthan.gov.in/mcjs (2) sppp.rajasthan.gov.in पर अपलोड करें।
07. सूचना पट्ट, नगर निगम उत्तर/दक्षिण।

आयुक्त
नगर निगम जोधपुर उत्तर

आयुक्त
नगर निगम जोधपुर दक्षिण

Scanned with OKEN Scanner

MCJS

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर (उत्तर/दक्षिण)

पोलोटेक्निक कॉलेज परिसर, जोधपुर ceo_nnj@rediffmail.com Tel 0291-2651464

रावण के पुतले व उनके चार परिजन तथा दो हाथियों का कार्य वर्ष 2023–24
कार्य बाबत् जारी निविदा के नियम व शर्तेः–

01. रावण के पुतले का निर्माण रावण दहन स्थल पर ही करना होगा व उचित सुरक्षा रखते हुए बारूद भरना, रावण दहन से ठीक दो दिन पूर्व रावण का पुतला तैयार करना होगा एवं उसकी सुरक्षा की समस्त जिम्मेवारी निर्माण से दहन तक संवंधित संवेदक की होगी।

02. रावण दहन स्थल पर दिये गये टेण्डर के अलावा अन्य संस्थानों से लिये गये टेण्डर से संबंधित कार्य नही किया जायेगा।

03. निगम द्वारा किसी भी प्रकार के साधन उपलब्ध नहीं करवाये जायेंगे। जैसे क्रेन, रेम्प, रस्सी, स्वीच बोर्ड इत्यादि।

04. रावण के पुतले को स्टैण्डर्ड नाप 60 फीट चबूतरे की फर्श से ऊँचाई होनी चाहिये। छतरी व तुर्रा अलग से लगाना होगा। पुतले की ऊँचाई के अनुपात में शरीर के अन्य अंगों का निर्माण करना होगा कुल ऊँचाई 75 फीट से कम नहीं होगी।

05. रावण के पुलते में न्यूनतम 75 लकड़ी की बल्लिया लगानी होगी व आवश्यकतानुसार छोटी बलिया भी लगानी होगी। पुतले में जूट व घास आवश्यकतानुसार डाली जावें, एक टन लकड़ी रावण के पांव के घेरे में चुनकर डाले एवं पुतले पर मोबिल ऑयल, तारपिन का तेल का छिड़काव, आयुक्त एवं मेलाधिकारी के निर्देशानुसार करना होगा।

06. दो हाथियों के स्टैण्डर्ड नाप चबुतरे की फर्श से 15 फीट ऊँचे होने चाहिए।

07. ढांचा निर्मित करते समय लोहे के तार का उपयोग करना होगा। ढाचा तैयार के पश्चात् गत्ते के कागज का उपयोग करना होगा।

08. रावण का पुतला व उनके परिजनों के पुतलों तथा हाथियों पर टाट/बारदान लगाकर उस पर कपड़ा, लट्ठा आवश्यकतानुसार लगाना होगा।

09. रावण व सहयोगी के पुतले तथा हाथी के पुतले की खुबसूरती के लिए रंगीन लीलन पोपलीन के कपड़े का उपयोग करना होगा।

10. रावण के 10 मुख व 2 हाथ पुतले की ऊँचाई, चौड़ाई अनुपात में बनाने होगें। हाथों में बारूद आदि सुसज्जित होंगे। कड़वी 200 किलो, 200 घास, जुट उपयोग में लेना होगा। बारूद संलग्न सुचिनुसार लगाना–भरना होगा।

11. रावण के पुतले का साज श्रृगार एवं सजावट किया हुआ होना चाहिये।

12. रावण के पुतले के गले में हार होना चाहिये।

13. रावण के पुतले पर लगाये जाने वाला छतरी के ऊपर गंर्धवराज का मुख होना चाहिये।

14. रावण सहयोगी पुतले व हाथियों को जलाने के लिए कड़ी 100 किलो व घास 100 किलो बजन से संवेदक को डालना होगा। (आवश्यकतानुसार)

Scanned with OKEN Scanner

15. रावण के नाभि में छतरी लगानी होगी जो घूमती हुई जलेगी।
16. निगम के अधिकारी (अधिकृत) की देख–रेख व निर्देशानुसार निर्माण करना होगा।
17. प्रदर्शन के समय संवेदक या उनके अधिकृत प्रतिनिधि दिनांक 24.10.2023 दशहरा महोत्सव के समारोह समाप्ति तक उपस्थित रहना अनिवार्य है।
18. रावण व सहयोगी पुतलों के आकर्षक रूप से जलने के लिए व मनोरंजन के लिए निगम सूची अनुसार बारूद डालना होगा।
19. निगम के अधिकृत आतिशबाजी के संवेदक से पुतलों के निर्माण के समय सहयोग लेकर बारूद भरा जावें।
20. निगम की शर्तों के अनुसार स्टैण्डर्ड नाप के सभी पुतले बनाकर मेलाधिकारी को दिनांक 22.10.2023 को सुपुर्द करना होगा व निर्धारित समय व शर्तों की पालना नहीं की गई, तो नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
21. मेला समाप्ति तक मुख्य कार्यकारी एवं आयुक्त मेलाधिकारी से सम्पर्क बनाये रखना होगा।
22. रावण व उसके चार परिजनों के पुतलों के निर्माण का पूर्व अनुभव आवश्यक हो एवं जिला स्तरीय अनुभवी को प्राथमिकता दी जावेगी।
23. बिना धरोहर राशि निविदा मान्य नहीं होगी।
24. इसके अतिरिक्त अधिकृत अधिकारी का जो भी निर्देश होगा उसके अनुसार निर्माण करना होगा।
25. निविदा के संबंध में अंतिम निर्णय सक्षम अधिकारी का मान्य होगा।
26. वाद का क्षेत्राधिकार जोधपुर होगा।
27. पुतलों के पैरों में मोजड़ी/जूती लाल रंग की पहनानी होगी।
28. रावण के पुतलों को एक–एक करके मुँह को रिमोट से उड़ाना होगा/जलाना होगा।
29. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
30. नियमानुसार आयकर जमा कटौति की जावेगी।
31. रावण व अन्य पुतलों में लगाये जाने वाले बारूद संबंधि सूची संलग्न है।
32. पुतले निर्माण पश्चात् दशहरा महोत्सव 2023 के दिवस तक ठेकेदार व मिस्त्री, कारीगरों आदि को उपस्थित रहना आवश्यक है व प्रदर्शन करवाना होगा।
33. यदि पुतले के निर्माण कार्य को मिस्त्री, कारीगर आदि लावारिस छोड़कर चले जायेंगे व प्रदर्शन पर मौके पर नहीं पाये गये तो राशि में 15 प्रतिशत की कटौति की जावेगी।
34. रावण व सहयोगी पुतलों के भीतर चार–चार बल्लियां खड़ी कर उनको लोहे के तार से गाठ से बांधनी होगी। साथ ही रावण का पुतला खड़ा रहने के लिए अच्छी क्वालिटी की रस्सी एवं तार से मजबूत बांधा जाना होगा।
35. पुतले निर्माण में अधिक समय तक जलने के लिए गोबर से लिपना व प्लास्टर करना होगा।

Scanned with OKEN Scanner

36. दरें/भाव बिना कांट–छांट किये साफ प्रति ईकाई के हिसाब से अंको एवं शब्दों में स्याही द्वारा लिखी जावें।
37. दिया गया कार्य टेण्डरदाता आगे दूसरे को न दे सकेगा अथवा सबलेट न कर सकेगा।
38. टेण्डर में कांट छांट एवं ओवर राईटिंग नहीं होनी चाहिये और कोई दुरूस्ती (Altration) करना वह स्पष्ट तौर पर होनी चाहिये और टेण्डर फार्म एवं उनके साथ में लिखित शर्तो के हर पेज पर टेण्डर दाता के हस्ताक्षर होने चाहिये कि वह न शर्तो को मन्जूर करता है।
39. टेण्डर के साथ धरोहर राशि रूपये .... नकद अथवा बैंक डिमान्ड ड्राफ्ट के रूप में पेश होना आवश्यक है धरोहर राशि के बिना दिया गया टेण्डर मान्य नहीं होगा। चैक द्वारा धरोहर राशि मान्य नहीं होगी।
40. सफल टेण्डर दाता को वांछित फार्म में इकरारनामा उचित स्टाम्प पेपर भर कर देना होगा और कार्य को पूरा करने के लिये अमानत के रूपये .... नगर निगम दक्षिण कोश में जमा कराने होगें। इकरारनामा भर कर दिये गये समय पर पेश न करने पर शर्तो का भंग होना माना जायेगा और धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी, मन्जूर सूदा शर्तो को भंग करने अथवा कान्ट्रेक्ट को सन्तोषजनक ढंग से परिपूर्ण न करने की दिशा में जमाशुदा अमानत राशि पूरी अथवा अंश में जब्त कर ली जावेगी।
41. नगर निगम दक्षिण को किसी टेण्डर की दर को मन्जूर करने या नामंजूर करने का बिना कोई कारण बताये पूरा अधिकार होगा और माल पूरा या अंश रूप में लेने का अधिकार होगा।
42. किसी भी विवाद की कानूनी कार्यवाही करने का न्याय क्षेत्र जोधपुर शहर में न्यायालयों का होगा।
43. उपरोक्त टेण्डर की शर्तो के अलावा सप्लायर द्वारा टेण्डर में लगाई गई अन्य शर्ते अमान्य होगी और टेण्डर अस्वीकार किया जावेगा।

उपरोक्त शर्तो का पढ़कर समझ ली है जो स्वीकार है।

आयुक्त
नगर निगम जोधपुर,उत्तर

आयुक्त
नगर निगम जोधपुर,दक्षिण

संवेदक हस्ताक्षर

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर (उत्तर / दक्षिण)

पोलोटेक्निक कॉलेज परिसर, जोधपुर ceo_mj@rediffmail.com Tel 0291-2651464

दशहरा महोत्सव 2023 में रावण के पुतलों एवं सहयोगियों के लिए आतिशबाजी के आईटमों की सूची

01. रावण की नाभी में तीर
02. रावण की नाभी में फूल बरसे
03. रावण एवं सहयोगी पुतलों की आखों में रोशनी व अंगारे
04. रावण के सहयोगी पुतलों में फुआर
05. रावण के कानों में रोशनी
06. रावण के पुतले एवं सहयोगी पुतले के तिलक में रोशनी
07. रावण के हाथ की ढाल एवं तलवार घुमती हुई
08. रावण की छतरी घुमती हुई
09. रावण के दस मुँह एवं एक मुँह रिमोट से उड़ाये
10. रावण में 200 सुप्रिम धमाकें
11. रावण के सहयोगी पुतलों में 150 सुप्रिम धमाकें

आयुक्त
नगर निगम जोधपुर,उत्तर

आयुक्त
नगर निगम जोधपुर,दक्षिण

संवेदक हस्ताक्षर

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर (उत्तर/दक्षिण)

पोलोटेक्निक कॉलेज परिसर, जोधपुर ceo_nnj@rediffmail.com Tel 0291-2651464

निविदा प्रपत्र क्रम संख्या

01. निविदा दाता/फर्म का नाम :– ....

02. कार्य का नाम :– रावण, कुम्भकरण, मेघनाद के पुतले बनाने का कार्य

01. निविदा भेजने की तिथि :– .... समय ....तक

02. निविदा प्राप्त की तिथि :– .... समय ....तक

03. निविदा शुल्क :– .... रसीद सं. .... दिनांक ....

04. धरोहर राशि :– .... रसीद सं. .... दिनांक ....

05. अनुमानित लागत :– .... लाख

क्र.सं.	कार्य	दर
01	रावण व चार सहयोगी पुतलो का निर्माण, बास की खपच्चियों का दस मुँह आकार में 60 फुट ऊँचा एवं उसी अनुपात में चौड़ा रावण शक्लनुमा आवश्यक साज सज्जा के साथ तैयार किया जाना एवं रावण दहन का कार्य सम्पन्न करवाया जाना है।	

हस्ताक्षर निविदादाता/फर्म

निविदा की आवश्यक शर्तें:–

01. निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार नगर निगम उत्तर/दक्षिण जोधपुर के पास सुरक्षित रहेगा।
02. डाक द्वारा प्रेषित निविदा स्वीकार नहीं होगी।
03. दशहरा महोत्सव के दिन तीनों पुतले प्रातः 12 बजे पूर्ण रूप से खडे कर नगर निगम उत्तर/दक्षिण जोधपुर को सुपुर्द करने होगें।
04. कार्य नगर निगम उत्तर/दक्षिण जोधपुर की शर्तों व नियमानुसार करना होगा।
05. विना धरोहर राशि जमा कराये निविदा स्वीकार्य नहीं होगी।
06. समस्त विवादों में न्याय क्षेत्र, जोधपुर होगा व नगर निगम उत्तर/दक्षिण का निर्णय ही अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।
07. अन्य शर्ते कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय में देखी जा सकती है।

हस्ताक्षर निविदादाता/फर्म

Scanned with OKEN Scanner

जोधपुर
नगर निगम उत्तर

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर, उत्तर/दक्षिण

पोलोटेक्निक कॉलेज परिसर, जोधपुर ceo_mnj@rediffmail.com Tel 0291-2651464

—:: अतिशबाजी निविदा की आवश्यक शर्तें ::—

01. निविदा में वो ही भाग ले सकता है जिसके पास पटाखा (आतिशबाजी) करने का स्वयं का लाईसेंस होना जरूरी है। लाईसेन्स की कॉपी देने पर ही निविदा कॉपी दी जायेगी/मान्य होगी।
02. निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार नगर निगम उत्तर/दक्षिण जोधपुर के पास सुरक्षित रहेगा।
03. डाक द्वारा प्रेषित निविदा स्वीकार नहीं होगी।
04. दशहरा महोत्सव के दिन तीनों पुतले प्रातः 12 बजे पूर्ण रूप से खड़े कर नगर निगम उत्तर/दक्षिण मेला अधिकारी को सुपुर्द करने होगें।
05. कार्य नगर निगम उत्तर/दक्षिण जोधपुर की शर्तों व नियमानुसार करना होगा।
06. बिना धरोहर राशि जमा कराये निविदा स्वीकार्य नहीं होगी।
07. समस्त विवादों में न्याय क्षेत्र, जोधपुर होगा व नगर निगम उत्तर/दक्षिण का निर्णय ही अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।
08. अन्य शर्ते कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय में देखी जा सकती है।
09. अन्य शर्ते सलंग्न है।
10. निविदा में वो ही भाग ले सकता है जिसके पास पटाखा (आतिशबाजी) करने का स्वयं का लाईसेंस होना जरूरी है। लाईसेन्स की कॉपी देने पर ही निविदा कॉपी दी जायेगी/मान्य होगी।
11. बिना धरोहर राशि एवं सशर्त निविदा स्वीकार नहीं होगी।
12. उक्त पटाखे नगर निगम कार्यालय में दशहरा महोत्सव से एक दिन पूर्व में लाने एवं कमेटी के समक्ष गिनाने होगें।
13. आतिशबाजी कार्य हेतु अनुभव प्रमाण पत्र एवं वैद्य रजिस्ट्रेशन व जीएसटी क्लियरेंस सर्टिफिकेट लगाने होगें।
14. उक्त कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही होने पर भुगतान नहीं होगा।
15. अन्य शर्ते कार्यालय दिवस में देखी जा सकती है।
16. सभी मामलों में न्याय क्षेत्र नगर निगम उत्तर/दक्षिण जोधपुर होगा।
17. दरें/भाव बिना कांट-छांट किये साफ प्रति ईकाई के हिसाब से अंको एवं शब्दों में स्याही द्वारा लिखी जावें।
18. दिया गया कार्य टेण्डरदाता आगे दूसरे को न दे सकेगा अथवा सबलेट न कर सकेगा।
19. टेण्डर में कांट छांट एवं ओवर राईटिंग नहीं होनी चाहिये और कोई दुरूस्ती (Altration) करना वह स्पष्ट तौर पर होनी चाहिये और टेण्डर फार्म एवं उनके साथ में लिखित शर्तों के हर पेज पर टेण्डर दाता के हस्ताक्षर होने चाहिये कि वह न शर्तों को मन्जूर करता है।
20. टेण्डर के साथ धरोहर राशि रूपये .... नकद अथवा बैंक डिमान्ड ड्राफ्ट के रूप में पेश होना आवश्यक है धरोहर राशि के बिना दिया गया टेण्डर मान्य नहीं होगा। चैक द्वारा धरोहर राशि मान्य नहीं होगी।
21. सफल टेण्डर दाता को वांछित फार्म में इकरारनामा 500/- रु0 के स्टाम्प पेपर भर कर देना होगा और कार्य को पूरा करने के लिये अमानत के रूपये .... नगर निगम दक्षिण कोश में जमा कराने होगें। इकरारनामा भर कर दिये गये समय पर पेश न करने पर शर्तों का भंग होना माना जायेगा और धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी, मन्जूर सूदा शर्तों को भंग करने अथवा कान्ट्रेक्ट को सन्तोषजनक ढंग से परिपूर्ण न करने की दिशा में जमाशुदा अमानत राशि पूरी अथवा अंश में जब्त कर ली जावेगी।
22. आतिशबाजी तय समय 30 मिनट तक लगातार एवं आकर्षक होनी चाहिए अन्यथा आनुपातिक शास्ति राशि की कटौती की जाएगी।

आयुक्त
नगर निगम जोधपुर,उत्तर

आयुक्त
नगर निगम जोधपुर,दक्षिण

संवेदक हस्ताक्षर

Scanned with OKEN Scanner